परिपत्र सं०.52/26/2018 - जीएसटी

फा.सं०.354/255/2018-टीआरयू (Part-2)

भारत सरकार

वित्त मत्रांलय

राजस्व विभाग

(कर अनुसंधान इकाई**)**

*****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक, 9 अगस्त, 2018

सेवा में

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त/महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और केन्द्रीय कर (सभी) महानिदेशक-प्रणालियां, सीबीईसी के अंतर्गत सभी ।

महोदया/महोदय,

विषय: विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी की अनुप्रयोज्यता संबंधी स्पष्टीकरण - के संबंध में ।

निम्नलिखित मदों पर लागू जीएसटी दरों के संबंध में स्पष्टीकरण हासिल किए जाने हेतु अभ्यावेदनों को प्राप्त किया गया है:

(i) फोर्टिफाइड टोन्ड दूध
(ii) परिष्कृत चुकंदर और गन्ना चीनी
(iii) इमली कर्नेल पाउडर (संशोधित या असंशोधित)
(iv) पीने का पानी
(v) प्लाज्मा उत्पाद
(vi) स्पनलेस गैर-बुने हुए कपड़े का उपयोग करने वाले वाइप्स
(vii) असली ज़री कसाब (थ्रेड)
(viii) समुद्री इंजन
(ix) रजाई और कॉम्फोर्टर
(x) मोटर वाहन या जॉब कार्य की आपूर्ति के रूप में बस बॉडी का निर्माण
(xi) डिस्क ब्रेक पैड

2. मामले की जांच की गई है । मुद्दे-वार स्पष्टीकरणों पर चर्चा इस प्रकार है:

3.1 **फोर्टिफाइड टोन्ड दूध पर जीएसटी की उपयुक्तता:** फोर्टिफाइड टोन्ड दूध पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए अभ्यावेदनों को प्राप्त किया गया है ।

3.2 दूध को शीर्ष 0401 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और अधिसूचना संख्या 2/2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के क्र0 सं0 25 के अनुसार, टैरिफ शीर्ष 0401 के अंतर्गत आने वाले अल्ट्रा हाई तापमान (यूएचटी) दूध को छोड़कर सेपरेटेड दूध, दूध और क्रीम जो संकेंद्रित न हो और न ही अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ शामिल वाला हो सहित, ताजा दूध और पेस्चूराइज्ड दूध पर जीएसटी की शून्य दर लगती है । इसके अलावा, एचएसएन स्पष्टीकरण नोट्स के अनुसार, विटामिन और खनिजों से समृद्ध दूध एचएसएन स्पष्टीकरण नोट्स के अंतर्गत वर्गीकरणीय है । अत:, यह स्पष्ट किया जाता है कि टोन्ड मिल्क फोर्टीफाइट (विटामिन 'ए' और 'डी' के साथ) पर एचएसएन कोड 0401 के अंतर्गत जीएसटी की शून्य दर लगती है ।

4.1 **परिष्कृत चुकंदर और गन्ना चीनी पर लागू जीएसटी दर:** परिष्कृत चुकंदर और गन्ना चीनी पर लागू जीएसटी दर के संबंध में संदेह किए गए हैं । अधिसूचना सं0. 1/2017 - केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची I की क्र0सं0. 91 के अंतर्गत, शीर्षक 1701 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के चुकंदर और गन्ना चीनी पर 5 प्रतिशत जीएसटी दर निर्धारित की गई है ।

4.2 अधिसूचना सं0. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची II की क्र0सं0. 32 क. के अनुसार, शंकाओं का उत्पन्न होना प्रतीत होता है, जो स्वाद या रंग की सामग्री वाली परिष्कृत चीनी, चीनी क्यूब्स (उनके अलावा जिन पर 5% या शून्य जीएसटी लगती है) शामिल है, टैरिफ मद 1701 91 और 1701 99 के अंतर्गत आने वाले सभी सामान" पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत निर्धारित करती है ।

4.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि क्र0सं0. 32 क में विशिष्ट बहिष्कार के आधार पर, कोई चीनी जो 5 प्रतिशत [अधिसूचना सं0. 1/2017 - केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची I की उक्त क्र0सं0. 91 पर] की श्रेणी के अंतर्गत आती है को

अनुसूची II की क्र0सं0. 32 क से बाहर रखा जाता है । चूंकि शीर्षक 1701 के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के चुकंदर और गन्ना चीनी अनुसूची I में उक्त प्रविष्टि 91 के अंतर्गत आते हैं, तो इन्हें अनुसूची II की क्र0सं0. 32 क से बाहर रखा जाएगा, और इस प्रकार 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा ।

4.4 तद्नुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि परिष्कृत चुकंदर और गन्ना चीनी सहित चुकंदर और गन्ना चीनी शीर्षक 1701 के अंतर्गत आएंगे और इन पर 5 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी ।

5.1 **ट्रीटेड (संशोधित) इमली कर्नेल पाउडर और प्लेन (असंशोधित) इमली कर्नेल पाउडर पर लागू जीएसटी दर:** ट्रीटेड (संशोधित) इमली कर्नेल पाउडर और प्लेन (अनमोडीफाइड) इमली कर्नेल पाउडर पर लागू जीएसटी दर के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग हेतु अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं ।

5.2 इमली कर्नेल पाउडर (टीकेपी) के दो ग्रेड हैं:- प्लेन (असंशोधित) स्वरूप (गर्म, पानी घुलनशील) और रासायनिक रूप से ट्रीटेड (संशोधित) स्वरूप (ठंडा, पानी घुलनशील)।

5.3 अधिसूचना सं0. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची I की क्र0सं0. 76 के अनुसार, अध्याय 13 के अंतर्गत आने वाले इमली कर्नेल पाउडर पर 5 प्रतिशत जीएसटी निर्धारित थी । फिर भी, इमली कर्नेल पाउडर पर जीएसटी दर के संबंध में कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं, क्योंकि उक्त अधिसूचना विशेष रूप से "संशोधित" शब्द का उल्लेख नहीं करती है ।

5.4 चूंकि प्लेन (असंशोधित) इमली कर्नेल पाउडर और ट्रीटेड (संशोधित) इमली कर्नेल पाउडर दोनों अध्याय 13 के अंतर्गत आते हैं, तो एतदद्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों अधिसूचना के संदर्भ में 5% जीएसटी आकर्षित करते हैं। उक्त अधिसूचना के अनुसार, दोनों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है ।

6.1 **सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति पर जीएसटी की अनुप्रयोज्यता:** सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति पर जीएसटी की

अनुप्रयोज्यता के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग किए जाने वाले अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं ।

6.2 अधिसूचना सं०. 2/2017-केन्द्रीय (कर) दिनांक 28.06.2017 की क्र0सं0. 99 पर प्रविष्टि के प्रति ध्यान आमंत्रित किया जाता है, जिसके आधार पर एचएस कोड 2201 के अंतर्गत आने वाले वॉटर [वाष्पित कंटेनर में वाष्पित, खनिज, शुद्ध, आसुत, औषधीय, आयनिक, बैटरी, डी-खनिज और पानी के अलावा] पर जीएसटी की शून्य दर लगती है ।

6.3 तद्नुसार, अधिसूचना सं०. 2/2017-केन्द्रीय (कर) दिनांक 28.06.2017 की क्र0सं0. 99 से उन छोड़े गए वॉटर के अलावा, वॉटर की आपूर्ति पर "शून्य" दर पर जीएसटी लगेगी । अत:, यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए पेयजल की आपूर्ति, जो मुहरबंद कंटेनर में आपूर्ति नहीं किया गया हो, को जीएसटी से छूट प्राप्त है ।

7.1 **मानव रक्त प्लाज्मा पर जीएसटी दर:** "मानव रक्त प्लाज्मा" पर जीएसटी दरों के संबंध में देश के विभिन्न भागों में होने वाली विभिन्न प्रथाओं के बारे में संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

7.2 प्लाज्मा रक्त का स्पष्ट, भूरे रंग का तरल भाग है, जो लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट और अन्य सेलुलर घटकों को हटा दिए जाने के बाद बची रह जाती है। नामकरण की हार्मोनाइज़्ड-प्रणाली (एचएसएन) के व्याख्यात्मक नोट्स के अनुसार, प्लाज्मा एंटीसेरा की व्याख्या के अंतर्गत आएगा और अन्य रक्त भिन्नताओं, जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के माध्यम से चाहे संशोधित अथवा हासिल किया गया हो या नहीं, और एचएस कोड 3002 के अंतर्गत आएंगे ।

7.3 सामान्य मानव प्लाज्मा अधिसूचना सं0. 1/2017 -केंद्रीय कर (दर) की अनुसूची I की क्र0सं0. 180 के अंतर्गत सूची I की क्र0सं0. 186 पर विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, और इस पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है । एचएस कोड 3002 के अंतर्गत आने वाली मदों पर उक्त सूची में विशेष रूप से कवर नहीं किए गए, उक्त अधिसूचना की अनुसूची II की क्र0सं0. 61 के अंतर्गत 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा ।

7.4 इस प्रकार, दो प्रविष्टियों के एक सामंजस्यपूर्ण पठन से तात्पर्य होगा कि सामान्य मानव प्लाज़मा पर सूची I (क्र0सं0. 186) के अंतर्गत 5 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी जबकि प्लाज़मा उत्पादों पर यदि अन्यथा उक्त सूची के अंतर्गत विशेष रूप से कवर न किया गया हो, तो 12 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी ।

8.1 बेबी वाइप्स, फेशील टिशूज़ और अन्य समान उत्पादों का उचित वर्गीकरण : बेबी वाइप्स, फेशियल टिशूज़ और अन्य समान उत्पादों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न अभिक्रियाओं का पालन किया जा रहा है, और इन उत्पादों के सही वर्गीकरण के अनुरोध किए जाने के संदर्भ प्राप्त हुए हैं । संदर्भों के अनुसार, इन उत्पादों को वर्तमान में उद्योग द्वारा विभिन्न एचएस कोड अर्थात् 3307, 3401 और 5603 के तहत वर्गीकृत किया जा रहा है ।

8.2 वाणिज्यिक रूप से, वाइप्स को विभिन्न प्रकारों जैसे कि बेबी वाइप्स, फॅशियल वाइप्स, कीटाणुशोधक वाइप्स, मेक-अप रीमूवर वाइप्स इत्यादि में वर्गीकृत किया जाता है । इन उत्पादों को आम तौर पर विस्कोस और पॉलीविस्कस मिश्रण के गैर-बुने हुए कपड़े का उपयोग करके बनाया जाता है और डीमिन्रलाइज़ड पानी और विभिन्न रसायनों और सुगंध से छिड़काव किया जाता है, जो उत्पाद को विशिष्टता प्रदान करता है । आधार कच्चे माल मॉइस्चराइजिंग और क्लिन्जिग एजेंट्स, संरक्षक, एक्वा बेस, शीतलन एजेंट, इत्र आदि हैं । कपड़ा सामग्री इन झाड़न/ पोंछन घटकों के एक वाहक माध्यम के रूप में मौजूद है ।

8.3 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (सीटीए), 1975 की पहली अनुसूची की व्याख्या [जीआरआई -3 (बी)] के लिए सामान्य नियमावली के अनुसार, *"मिश्रण, समग्र सामग्री जिसमें विभिन्न सामग्रियों या विभिन्न घटकों से बना होता है, और खुदरा बिक्री के लिए सेट में रखे सामान, जिसे 3 (क) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, को वर्गीकृत किया जाएगा जैसे कि वे सामग्री या घटक शामिल किए हुए थे जो उन्हें, जैसा कि यह मानदंड लागू होता है उनकी आवश्यक विशेषता देता है ।"* चूंकि वर्गीकरण का निर्णय करते समय अनुच्छेद के प्राथमिक कार्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यह स्पष्ट है कि उद्धृत मामले में वाइप्स की आवश्यक विशेषता को घटकों द्वारा प्रदान किया जाता है जो कपड़ा सामग्री के साथ मिश्रित किया जाना है ।

8.4 एचएसएन को व्याख्यात्मक नोट्स के अनुसार, एचएस कोड 5603 गैर-बुने हुए, प्रत्यारोपित, लेपित या पदार्थों या परफ्यूम या सौंदर्य प्रसाधन, साबुन या डिटर्जेंट, पॉलिश, क्रीम या समान तैयारी जैसी तैयारियों को स्पष्ट रूप से वर्जित करता है । एचएसएन पुन: उत्पन्न किया गया है जो निम्नानुसार है:

"शीर्षक में निम्नलिखित को भी वर्जित किया गया है:

गैर-बुने, इम्प्रैग्नेटेड, लेपित या पदार्थ या तैयारी के साथ कवर किया [अर्थात् इत्र या सौंदर्य प्रसाधन (अध्याय 33), साबुन या डिटर्जेंट (3401 शीर्षक), पॉलिश, क्रीम, या इसी तरह की तैयारी (3405 शीर्षक), कपड़े, सॉफ़्टनर (शीर्षक 3809)] जहां कपड़ा सामग्री केवल एक वाहक माध्यम के रूप में मौजूद है । इसके अलावा, एचएस कोड 3307 में वेडिंग, फैल्ट और गैर बुना हुआ, प्रेरित, लेपित या इत्र या सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं । एचएस कोड 3401, पेपर, वेडिंग, फैल्ट और गैर बुना हुआ प्रत्यारोपित, लेपित या साबुन या डिटर्जेंट से ढका हुआ होगा चाहे वह सुगंधित हो या नहीं" ।

8.5 *इसके अलावा एचएसएन हेतु स्पष्टीकरण नोट्स, शीर्षक 3307 में वेडिंग, फैल्ट और गैर-बुना हुआ प्रत्यारोपित, लेपित या इत्र या सौंदर्य प्रसाधनों के साथ कवर किया हुआ शामिल है । इसी तरह, एचएसएन हेतु स्पष्टीकरण नोट्स के अनुसार, शीर्षक* 3401 *में पेपर, वेडिंग, फैल्ट और गैर बुना हुआ प्रत्यारोपित, लेपित या साबुन या डिटर्जेंट से ढके हुए वाइप्स, चाहे वे खुदरा बिक्री के लिए सुगंधित हों या नहीं, शामिल हैं ।*

8.6 इस प्रकार, उपर्युक्त चर्चा के अनुसार विभिन्न प्रकार के वाइप्स (यथा उल्लिखित) 3307 या 3401 शीर्षक के तहत वर्गीकृत हैं । अत:, अगर बच्चे के वाइप्स इत्र या सौंदर्य प्रसाधनों के साथ इमप्रेग्नेट कर रहे हैं, तो वे एचएस कोड 3307 के अंतर्गत आएंगे और उन पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा । इसी प्रकार, यदि वे साबुन या डिटरजेंट से लेपित हों तो वे एसएच कोड 3401 के अंतर्गत आएंगे और उन पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा ।

9.1 **वास्तविक ज़री कसाब (धागा) पर वर्गीकरण और लागू जीएसटी दर :** कसाब धागे (एक धातुकृत धागा) पर वर्गीकरण और लागू जीएसटी दर के संबंध में कुछ संदेह किए गए हैं क्योंकि शीर्षक 5605 के अंतर्गत आने वाले यार्न पर अधिसूचना सं0.01/2017-केन्द्रीय कर(दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची-II-12 प्रतिशत की प्रविष्टि 137 के अनुसार 12

प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि निर्दिष्ट कढ़ाई उत्पाद 5809 के अंतर्गत आता है और उल्लिखित अधिसूचना की अनुसूची-I प्रतिशत की प्रविष्टि सं0. 220 के अनुसार, 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है ।

9.2 शीर्षक 5809 और 5810 में कढ़ाई और ज़री माल आता है । इन शीर्षकों में किसी भी प्रकार के धागे को शामिल नहीं किया जाता है । अत:, जबकि ये शीर्षक कढ़ाई लेख, टुकड़े में, पट्टियों में, या रूपों में कढ़ाई पर लागू होते हैं, तो वे कसाब यार्न सहित यार्न पर लागू नहीं होते हैं ।

9.3 इसके अलावा सभी प्रकार के धातु यार्न या धागे टैरिफ शीर्षक 5605 के तहत वर्गीकृत हैं । कसाब (यार्न) इस शीर्षक के अंतर्गत आता है । शीर्षक 5605 के अंतर्गत, कोर यार्न अर्थात् शुद्ध रेशम और सूती और अंततः सोने के साथ गिल्ट पर रजत तार गिम्प्ड (विटाल) से निर्मित असली ज़री जीएसटी दर अनुसूची की अनुसूची-I-5 प्रतिशत की प्रविष्टि सं0. 218क में यथा निर्दिष्ट टैरिफ मद 5605 00 10 के अंतर्गत 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा । इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले अन्य माल पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा । तद्नुसार, कसाब (यार्न) पर नकली ज़री धागे (अनुसूची-II-12 प्रतिशत की क्र0सं0. 137) के साथ धागा, स्ट्रिप या पाउडर या धातु से ढके स्वरूप में धातु के साथ सम्मिश्रित कपड़ा यार्न होने के नाते अन्य धातुकृत यार्न, चाहे गिम्प्ड हो अथवा नहीं के साथ 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा । इसलिए, यह स्पष्ट किया गया है कि नकली ज़ारी धागा या धागा जिसे "कसाब" या व्यापार के समानता में किसी अन्य नाम से जाना जाता है पर टैरिफ शीर्षक 5605 के अंतर्गत एक समान 12 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी ।

10.1 **समुद्री इंजन पर जीएसटी की प्रयोज्यता:** समुद्री इंजन पर जीएसटी दरों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु संदर्भ प्राप्त किया गया है । मछली पकड़ने के जहाज शीर्षक 8902 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, और अधिसूचना सं0. 01/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची I की क्र0सं0. 247 के अनुसार, 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगती है । इसके अलावा, उक्त अधिसूचना की अनुसूची I की क्र0सं0. 252 के द्वारा किसी अध्याय के अंतर्गत आने वाले शीर्षक 8902 के सामानों के भागों पर भी 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है । सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की टैरिफ मद 8408 10 93 के अंतर्गत आने वाले मछली पकड़ने के जहाज के लिए समुद्री इंजन पर अधिसूचना सं0.

01/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची I की क्र0सं0. 252 के माध्यम से 5 प्रतिशत की जीएसटी दर लगती है ।

10.2 अत:, यह स्पष्ट किया गया है कि टैरिफ मद 8408 10 93 के अंतर्गत आने वाले मछली पकड़ने वाले समुद्री इंजन (मछली पकड़ने वाले यान का एक भाग होने के नाते) की आपूर्ति पर 5 प्रतिशत का जीएसटी लगता है ।

11.1 **टैरिफ शीर्षक 9404 के अंतर्गत कपास रजाई पर लागू जीएसटी दर-** "कपास रजाई" शब्द का दायरा ।

11.2 टैरिफ शीर्ष 9404 के अंतर्गत आने वाली कपास रजाई पर, यदि इस तरह की सूती रजाई का बिक्री मूल्य 1000 रुपये प्रति नग [अधिसूचना सं0. 01/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 की अनुसूची I की क्र0सं0. 257 क. के अनुसार] से अधिक न हो, 5 प्रतिशत जीएसटी की दर लगती है । तथापि, इस तरह की 1000 रूपए प्रति नग से अधिक मूल्य की कपास रजाई पर 12 प्रतिशत (उक्त अधिसूचना की अनुसूची II की क्र0सं0. 224क के अनुसार) की दर से जीएसटी लगती है । सूती रजाई, अर्थात् कपास के कवर के साथ कपास से भरी रजाई, या कपास से भरी हुई, लेकिन कुछ अन्य सामग्री से बना कवर, या कपास के अलावा अन्य सामग्री से भरी हुई को बनाने के लिए संदेह किए गए हैं ।

11.3 मामले की जांच की गई है । कपास रजाई की आवश्यक विशेषता भरने वाली सामग्री द्वारा प्रदान की जाती है । अत:, रजाई के कवर की सामग्री के बावजूद, कपास से भरी रजाई, कपास रजाई का गठन करती है । जीएसटी दर तदनुसार लागू होगी ।

12.1 **बस संरचना निर्माण गतिविधि के लिए लागू जीएसटी दर:** बस संरचना निर्माण गतिविधि की जीएसटी दरों पर स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं । इस तथ्य के कारण शंका उत्पन्न हुई है कि एक और जॉब कार्य सेवाओं पर लागू जीएसटी 18 प्रतिशत है, तो दूसरी और मोटर वाहनों की आपूर्ति पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है ।

12.2 शीर्षक 8702 के अंतर्गत आने वाली बसें [चालक सहित दस या दस से अधिक व्यक्तियों के परिवहन हेतु मोटर वाहन] पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है । इसके अलावा, बसों [8707] हेतु इंजन के साथ फिट की गई चेसिस [8705] और सम्पूर्ण संरचनाओं (कैब्स सहित) पर भी 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है । इस संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया है कि जॉब कार्य के आधार पर बस संरचना के निर्माण की सेवाओं की ऐसी सेवा पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है । इस प्रकार, बसों के निर्माण में निम्नलिखित दो स्थितियां समाविष्ट हो सकती हैं:

क) बस बॉडी बिल्डर एक बस बनाता है, जो उसके स्वामित्व वाली चेसिस पर काम करता है और ग्राहक को बिल्ट-अप बस की आपूर्ति करता है, और बस के मूल्य के लिए ग्राहक को चार्ज करता है।

ख) बस बॉडी निर्माता बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रिंसिपल द्वारा प्रदान की गई चेसिस पर बॉडी बनाता है, और फैब्रिकेशन शुल्क(जॉब कार्य की प्रक्रिया के दौरान उपभोग की गई कुछ सामग्री सहित) वसूलता है ।

12.3 उक्त संदर्भ में, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त पैरा 12.2(क) के मामले में आपूर्ति की गई बस का उल्लेख है, और तदनुसार आपूर्ति पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगती है । उपरोक्त 12.2(ख) में जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रिंसिपल (बॉडी निर्माता के कारण नहीं) द्वारा प्रदान की गई चेसिस पर बॉडी का फैब्रिकेशन, आपूर्ति सेवा के रूप में वर्गीकरण योग्यता होगी, और लागू होने पर 18% जीएसटी तदनुसार चार्ज किया जाएगा ।

13.1 **डिस्क ब्रेक पैड पर लागू जीएसटी दर:** ऑटोमोबाइल के लिए डिस्क ब्रेक पैड का स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु अभ्यावेदनों को प्राप्त किया गया है । यह बताया गया है कि इन उत्पादों को वर्गीकृत किए जाने के अलग-अलग अभ्यासों का अध्याय 68 या 8708 शीर्षक में पालन किया जा रहा है । अध्याय 68 पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगता है, जबकि शीर्षक 8708 पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगती है ।

13.2 शीर्षक 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के हिस्सों और सहायक उपकरण 8708 शीर्षक के तहत वर्गीकृत हैं और इन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है । इसके अलावा,

घर्षण सामग्री और इसके सामान (उदाहरण के लिए, चादरें, रोल, स्ट्रिप्स, सेगमेंट, डिस्क, वाशर, पैड), ब्रेक के लिए नहीं, घुमावदार या जैसे, एस्बेस्टोस के आधार पर, अन्य खनिज पदार्थों या सेलूलोज़ के आधार पर, चाहे वस्त्र या अन्य खनिज पदार्थों या सेलूलोज़ के साथ संयुक्त हो, चाहे वस्त्र या अन्य सामग्रियों के साथ संयुक्त हो, शीर्षक 6813 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं और इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है ।

13.3 उपर्युक्त संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया है कि एच एस एन स्पष्टीकरण नोट्स के अनुसार, शीर्षक 8708 "ब्रेक्स (जूता, सेगमेंट, डिस्क, इत्यादि) और इसके कुछ हिस्से (प्लेट्स, ड्रम, सिलेंडरों, घुड़सवार लिनिंग, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि के लिए तेल जलाशयों) में ; सर्वो ब्रेक और इसके कुछ हिस्से आते हैं, जबकि अध्याय 68 में पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टोस, मीका या इसी तरह की सामग्री के सामान शामिल हैं । इसके अलावा, शीर्षक 6813 के एचएसएन स्पष्टीकरण नोट्स के अनुसार, निम्न-लिखित को स्पष्टत: निकाला गया है:

i) घर्षण सामग्री में खनिज सामग्री या सेलूलोज़ फाइबर (उदाहरण के लिए, जो कॉर्क के हैं) नहीं है;

ii) माउंटेड ब्रेक लाइनिंग (डिस्क ब्रेक के लिए गोलाकार गुहाओं, छिद्रित जीभ या इसी तरह की फिटिंग के साथ प्रदान की गई धातु प्लेट की तय घर्षण सामग्री सहित) जिन्हें मशीनों या वाहनों के हिस्सों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिनके लिए उन्हें डिजाइन (उदाहरण के लिए 8708 शीर्षक) किया गया है ।

13.4 इस प्रकार, यह स्पष्ट है, एचएसएन स्पष्टीकरण नोट्स को ध्यान में रखते हुए कि उक्त माल, अर्थात् ऑटोमोबाइल हेतु "डिस्क ब्रेक पैड" सीमा शुल्क 8708 के अंतर्गत उचित रूप से वर्गीकरणीय हैं और उन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगती है ।

14. कठिनाई, यदि कोई हो, को तत्काल ही बोर्ड के ध्यान में लाया जाए ।

भवदीय

डॉ0 अजय कुमार
तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)